सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
श्रावण 14, सोमवार, *शाके 1946*-अगस्त 05, *2024* *Sravana 14, Monday, Saka 1946- August 05, 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निमार्ण विभाग(पथ) राजस्थान,जयपुर

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी जिला गंगापुर सिटी

भू – अर्जेन पुर्नवासन और पुनव्यवस्थापन में उचित पर्तिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत एल.सी.नंबर 172 पर ग्राम बाढ़टटवाडा तहसील तलावड़ा जिला गंगापुर सिटी की अर्जित्त की जा रही भूमि का विवरण

प्रपत्र- 7

नियम 16के उपनियम – (1)देखे

प्रारम्भिक अधिसुचना

गंगापुर सिटी, जुलाई 29, 2024

संख्या RAJKAJ : 9325155 :-चूकि राजस्थान सरकार / कलेक्टर को प्रतीत होता है, किहेभूमि,रेल्वे समपार फाटकक्रमांक एल.सी.172 पर आर.ओ.बी. निर्माण कार्यके लिए आवश्यक हैजिसके लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन (एस.आई.ए.) का कार्य उप मुख्य अभियंता /गति शक्ति यूनिट पष्चिम मध्य रेलवे द्वारा करवाया गया एस.आई.ए. अध्ययन की रिर्पाट का मूल्यांकन नियम 16 के अन्तर्गत सरकार द्वारा गठित बहुउद्ेषीय कमेटी द्वारा किया गया जिसे सरकार द्वाराअनुमोदित किया गया था।

एस.आई.ए रिर्पाट विवरण निम्न प्रकार से है:-

रिपोर्ट के अनुसार परियोजना में किसी भी परिवार के विस्थापन की आशंका नही है | अत: यह अधिसूचित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजना के लिय अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के खण्डो का विस्तार विवरण निम्नानुसार है :

जिला	तहसील	ग्राम /नगर	खसरा नंबर	क्षेत्रफल हैं० में मानक माप
1	2	3	4	5
गंगापुर सिटी	तलावड़ा	बाढ टटवाडा	12	0.9745

1.अधिसूचित भूमि अधिग्रहण, पुर्नवासन और पुनव्यवस्थापन अधिनियम 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013) में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्षिता के अधिकार की धारा 11(1)के प्रावधानों के तहत की गई है।

2. सरकार द्वारा अधिषाषी अभियंता सा0नि0वि0 खण्ड गंगापुर सिटी व उसके स्टाफ / कर्मचारी को ईलाके में कीसी भी भूमि की सेंव, नाप, व लेवल के लिए प्रवेष करने भूमि के नीचे मिट्टी की जाचं के लिए बोरकरने व परियोजना के कियान्वय व उजित निर्माण के लिए अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्राधिकृत किया जाता है।

3.भूमि अधिग्रहण, पुर्नवासन और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकारी अधिनियम की धारा 11(4) के अनुसार कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसुचना के प्रकाषन की तारीख पर अधिनियम के अधीन कार्यवाहीयों

को पूरा हो जाने के समय तक प्रारम्भिक अधिसुचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा । या कोई संव्यवहार करायेगा अथवा ऐसी भूमि परकोई विल्लंगम सृजित नही करेगा।

4.उपरोक्त भूमि में कोई भी हितवृद्व व्यक्ति इस अधिसुचना के प्रकाषन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत अधिग्रहण के संबंध में आपत्ति संबधित जिला कलेक्टर व उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी के समक्ष प्रस्सुत कर सकेगा।

क्र० स०	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या खसरा नं०	भूमि की प्रकार	भूमि का प्रकति	भूमि का प्रभावित क्षेत्रफल (हे०)में	प्रभावित व्येक्तियों का नाम वपता	सीमाएं				वृक्ष		संरचनाएं	
							उ०	द०	पू०	प०	किस्म	संख्या	प्रकार	प्लिंथ एरिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	बाढ़टट वाडा	111	निजी	बारानी 1	0.0134	रामलाल पुत्र सुकन्या हिस्सा-पूर्ण जाति.गूर्जर सा.देह खातेदार	130	112	126	रेल्वे लाइन				
2	बाढ़टट वाडा	132	निजी	बारानी 3	0.0394	रामलाल पुत्र सुखल्या हिस्सा-पूर्ण जाति.गूर्जर सा.देह खातेदार	478/123	130	131	रेल्वे लाइन				
3	बाढ़टट वाडा	478/132	निजी	बारानी 3	0.0412	मांगीलाल पुत्र सुखल्या हिस्सा-पूर्ण जाति.गूर्जर सा.देह खातेदार	148	132	133	रेल्वे लाइन			कच्चा इटो काम कान	5x 5.50 मीटर
4	बाढ़टट वाडा	56	निजी	बारानी 1	0.1558	मिश्रया पुत्र चून्या हिस्सा-पूर्ण जाति.कोली सा.देह खातेदार	57	56/464	रेल्वे लाइन	77				
5	बाढ़टट वाडा	55	निजी	चाही 1	0.063	शिवलेहरी पुत्र रामधन हिस्सा-1/2 सुरेश पुत्र रामधन हिस्सा-1/2 जाति.ब्राह्मण सा.बाढ टटवाडा खातेदार	53	56	रेल्वे लाइन	58				

6	बाढ़टट वाडा	53	निजी	चाही 1	0.0542	शिवलेहरी पुत्र रामधन हिस्सा-1/2 सुरेश पुत्र रामधन हिस्सा-1/2 जाति.ब्राह्मण सा.बाढ टटवाडा खातेदार	52	55	रेल्वे लाइन	52				
7	बाढ़टट वाडा	52	निजी	चाही 1	0.0116	पी०डब्ल्यु०डी० विभाग हिस्सा पूर्ण संस्था के लिए	51	61	रेल्वे लाइन	65				
8	बाढ़टट वाडा	110	सरकारी	गै०मु० सड़क	0.5408	पी०डब्ल्यु०डी० विभाग हिस्सा पूर्ण संस्था के लिए	रेल्वे लाइन	रेल्वे लाइन	132	रेल्वे लाइन				
9	बाढ़टट वाडा	148	सरकारी	गै०मु० नाला	0.0009	राजस्थान सरकार	149	478/132	132	रेल्वे लाइन				
10	बाढ़टट वाडा	109	सरकारी	गै०मु० चारागह	0.0137	चारागाह हिस्सा पूर्ण व अन्य सामान्य काम हेतु	रेल्वे लाइन	रेल्वे लाइन	110	रेल्वे लाइन				
11	बाढ़टट वाडा	107	सरकारी	गै०मु० नाला	0.0234	राजस्थान सरकार	106	रेल्वे लाइन	108	नाली				
12	बाढ़टट वाडा	56/464	सरकारी	बारानी 1	0.0171	राजस्थान सरकार	56	77	रेल्वे लाइन	77				
कुल योग-		**12**			**0.9745**									

सुनील गुप्ता,
संयुक्त सचिव (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।